न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 34/21 जी.सी.एम.एस. 2021/00072

1. लीलाबाई उर्फ बरजू पुत्री नारायण पत्नी जिया उम्र 64 वर्ष जाति बंजारा निवासी गरडा तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव
प्रतिवादी 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक– 29/6/2021

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम गरडा पटवार हल्का दांता तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या नया 115 के खसरा नबंर 178 की रकबा 2.31 है0, खसरा नबंर 179 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 244 की रकबा 1.20 है0, खसरा नबंर 245 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 250 की रकबा 0.62 है0, खसरा नबंर 260 की रकबा 0.32 है0, कूल किता 06 की रकबा 4.47 है0, आराजी स्थित है, जिसमें वादीनी का 1/10 हिस्सा निहित है, जो हमारे स्वर्गीय पिता नारायण की मृत्यु के बाद खुले फोती इंतकाल से हमारे खाते दर्ज हुई है।

यह कि वादीनी के स्वर्गीय पिता नारायण पुत्र जयसिंह की मृत्यु करीब 30 वर्ष पूर्व थी तथा उनकी मृत्यु के बाद खुले फोती इंतकाल में वादीनी का घर का बोलता नाम बरजू लिखवा दिया क्योंकि वादीनी को बचपन मे बरजू के नाम से ही बुलाया जाता था लेकिन वादीनी को बाद में लीलाबाई के नाम से पुकारा जाने लगा और वादीनी के बाद में बने सभी दस्तावेज जिसमें पहचान पत्र, आधारकार्ड, बैंक पास बुक, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि सभी दस्तावेजों में वादीनी का नाम लीलाबाई पत्नी जिया दर्ज हो रहा है। तथा वर्तमान में वादीनी के सभी दस्तावेज लीलाबाई पत्नि जिया के ही नाम के हैं इसलिये वादीनी के राजस्व रेकार्ड व पहचान के दस्तावेजात में नाम की भिन्नता आने के कारण वादीनी को उक्त आराजी में कृषि कनेक्शन लेने, सरकारी कांटे पर अनाज बेचने, सरकारी योजनाओं

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

का लाभ प्राप्त करने, कृषि ऋण प्राप्त करने आदि में भारी परेशानी आ रही है। जबकि उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं, तथा मुझ वादीनी को उक्त दोनों ही नामों से जाना व पहचाना जाता है, तथा हमारे गांव में इस नाम व वल्दीयत एवं जाति की अन्य कोई महिला नहीं है।

वादनी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम गरडा पटवार मण्डल दांता तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या नया 115 के खसरा नबंर 178 की रकबा 2.31 हैक्टयर, खसरा नबंर 179 की रकबा0.01 है0, खसरा नबंर 244 की रकबा 1.20 है0, खसरा नबंर 245 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 250 की रकबा 0.62 है0, खसरा नबंर 260 की रकबा 0.32 है0, कूल किता 06 की रकबा 4.47 है0, आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम बरजू पुत्री नारायण के स्थान पर लीलाबाई पुत्री नारायण पत्नी जिया दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादी को जारी की गई, प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास ने जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद पर कोई खण्डन व आपत्ति नहीं की गई। वादनी द्वारा ग्राम पंचायत का तस्दीक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें लीलाबाई उर्फ बरजू पुत्री नारायण पत्नि जिया जाति बंजारा दर्ज करने की अभिशंषा की गई है। वादनी द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में बलराम पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी नालोदी, लाला पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गरडा (नालोदी) , जिया पुत्री नाथू जाति बंजारा निवी ढाबादेह तहसील रामगंजमंडी, पेमा पुत्र नारायण जाति बंजारा निवासी ग्राम गरडा, का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड की छाया प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति, राजस्थान सरकार द्वारा जारी जनआधार कार्ड की छाया प्रति, परिवार राशन कार्ड की छाया प्रति, प्रस्तुत की गई, जिसमें वादनी का नाम लीलाबाई पुत्री नारायण पत्नि जीया दर्ज हो रहा है।

हमारे द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित तथ्यों, जवाब सरकार, संलग्न दस्तावेजों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात हम ग्राम गरडा पटवार मण्डल दांता तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या नया 115 के खसरा नबंर 178 की रकबा 2.31 हैक्टयर, खसरा नबंर 179 की रकबा0.01 है0, खसरा नबंर 244 की रकबा 1.20 है0, खसरा नबंर 245 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 250 की रकबा 0.62 है0, खसरा नबंर 260 की रकबा 0.32 है0, कुल किता 06 की रकबा 4.47 है0, आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम बरजु पुत्री नारायण के स्थान पर लीलाबाई उर्फ बरजू पुत्री नारायण पत्नि जीया दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

<u>**आदेश**</u>

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम गरडा पटवार मण्डल दांता तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या नया 115 के खसरा नबंर 178 की रकबा 2.31 हैक्टयर, खसरा नबंर 179 की रकबा0.01 है0, खसरा नबंर 244 की रकबा 1.20 है0, खसरा नबंर 245 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 250 की रकबा 0.62 है0, खसरा नबंर 260 की रकबा 0.32 है0, कूल किता 06 की रकबा 4.47 है0, आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम बरजु पुत्री नारायण के स्थान पर लीलाबाई उर्फ बरजू पुत्री नारायण पत्नि जीया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
[illegible] (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

दावा मु.नं. 34/21 जी.सी.एम.एस. 2021/00072

1. लीलाबाई उर्फ बरजू पुत्री नारायण पत्नी जिया उम्र 64 वर्ष जाति बंजारा निवासी गरडा तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव

प्रतिवादी 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

मुकदमा नं. 34/21 तारीख फैसला 29.06.2021 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम गरडा पटवार मण्डल दांता तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या नया 115 के खसरा नबंर 178 की रकबा 2.31 हैक्टयर, खसरा नबंर 179 की रकबा0.01 है0, खसरा नबंर 244 की रकबा 1.20 है0, खसरा नबंर 245 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 250 की रकबा 0.62 है0, खसरा नबंर 260 की रकबा 0.32 है0, कृल किता 06 की रकबा 4.47 है0, आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम बरजु पुत्री नारायण के स्थान पर लीलाबाई उर्फ बरजू पुत्री नारायण पत्नि जीया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **29** माह जून सन् **2021** को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी

कनवास जिला कोटा (राज0) Page no 4

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

राजेश [illegible] (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

Page no 5